

आसनसोल प्रभात

आज
मा
पवान



तिथि- वर्षीय शुक्र तारीख ३.३४ उत्तरांशी लिंग, नवम्बर- शनी (तारीख ८.०६ तक उत्तरांशी
शुक्रीय नवम्), घण्टा- शुक्र, भास- यात्र, विक्रम शनिव- २०७७, शक चंद्रव- १९४२, हिन्दी
शारीर- ३, दिन- मात्र, नहीन- रुद्र, वर्ष- १४४२, शरण- तारीख- ३.
दिन- भगवलार, भास- काल्यनु, बगान्ध- १४२७.

- सें एके बैरा

आज ०५:३८ बजे संध्या:



उदय ०६:१५ बजे ग्रात

प्रभात खबर

मोलाफारा, मंगलवार | 03
16.02.2021

प्रधानमंत्री जनधन खाजनाग्र मन्त्रालय व्यापार व्याकार्यालय द्वारा आसान
मन्त्रालय अधिकारी द्वारा जूलू व्यापार व्याकार्यालय
4,00,00,000
सामुद्र व्यापारिता
प्रधान खाजनाग्र एवं एकमात्र मिल व्यापारिता डारजे व्याकार्यालय प्राप्ति करते छुलून | Government of India
dasp 2211213/0645/2821

दिल्ली पष्ठिलक स्कूल, आसनसोल में कक्षाएं प्रारम्भ

आसनसोल, दिल्ली पष्ठिलक स्कूल आसनसोल द्वारा राज्य के शिक्षा विद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कक्षा १ से ११ तक के छात्रों के लिए १५ फरवरी, सोमवार से विद्यालय में कक्षाएं प्रारम्भ कर दी गयी हैं। फिलहाल कक्षा और का समय प्राप्ति ०७:४० से ११ बजे तक निर्धारित किया गया है, कक्षाएं आरंभ करने से पहले छात्रों की स्वास्थ्य सुन्दर

की दृष्टि से संबंधित सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। विगत दिवस अधिभावकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ विद्यालय प्रबंध-न्यासी प्रतिक मोर्चनका एवं प्रानवाम आदी, शमा ने एक बैठक आयोजित कर विद्यालय द्वारा उठाए गए कामों की जानकारी दी, प्रबंधनाचार्य आर. डी. शमा ने अधिभावकों को अवगत कराया कि छात्रों को विद्यालय मासक

लक्षाकर आज अनिवार्य है, हालांकि प्रथम छात्र के लिए विद्यालय प्रतिनिधि निशुल्क मासक प्रदान करेगा, लेकिन घर से स्कूल तक आने में भी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है, प्रेरणा द्वारा पर ताप-मापक यन्त्र द्वारा शारीरिक तापमान लेने तथा हाथों को कोलाइग गहित करने हेतु स्वचालित 'हैंड सैनिटाइज' की व्यवस्था की गयी है, प्रतिदिन छात्रों के प्रस्थान के बाद कक्षा-कक्ष, प्रबोधशाला, फर्नीचर तथा स्कूल बिल्डिंग के अन्य भागों को नियमित रूप से सीनिटाइज किया जाएगा।

एक कक्षा-कक्ष में केवल १२ छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गयी है, जिससे प्रबोधक छात्रों के दौरान छात्रों का मासक व द्रव्याने पहनना अनिवार्य है, रात्र रात्र सरकार के निर्देशों का व्योचित कि उचित शारीरिक दूरी बनाये रखने के लिए विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं अधिभावकों को लिखित स्वीकृति के पश्चात ही छात्रों को विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, साथ ही यह भी बताया कि छात्रों को विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, ऐसे छात्र जो किसी कारणों से विद्यालय आने में असमर्थ हैं, उनके लिए कक्षा में जारी शिक्षण गतिविधियों की 'लाइव स्ट्रीमिंग' उपलब्ध करायी जा रही है, जिससे कि वे घर बैठे 'ऑनलाइन-क्लास' कर सकें।